<u>न्यायालय, अपर सैशन न्यायाधीश, कम02,</u>

<u>जयपुर महानगर द्वितीय</u>

पीठासीन अधिकारी : विजय प्रकाश सोनी,आर.जे.एस.,(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 120/2022

सी.आई.एस. नम्बर : 915/2022

अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री राजकुमार सैनी, उम्र– 23 वर्ष, निवासी– बाड़ा की ढाणी मुण्डरू थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर, हाल प्लॉट नंबर 5–सी हरदेव नगर श्री नींदड़ गणेशधाम जयरामपुरा रोड, नींदड़ थाना हरमाड़ा जिला जयपुर।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, जयपुर महानगर, जयपुर।

.....

<u>जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं.</u>

<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 92/2022 पुलिस थाना हरमाड़ा जयपुर पश्चिम, अपराध अन्तर्गत धारा 354 (घ) आईपीसी व 3(1)(w), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989</u>

उपस्थित–

1. श्री श्रवण कुमार मौर्य विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।
2. श्री अशोक कुमार शर्मा विद्वान अधिवक्ता परिवादिया की ओर से।
3. श्री मुराद वेग,विद्वान अपर लोक अभियोजक राज.राज्य की ओर से।

.....

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक 22.03.2022</u>**

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री राजकुमार सैनी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं. का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 10.02.2022 को परिवादिया आरती मीणा द्वारा जबरन परेशान करने, अभद्र भाषा बोलने तथा परिवादिया की तरफ अश्लील हरकत करने व गंदी नजरों से देखने तथा गाली गलौज आदि करने बाबत् पुलिस थाना हरमाड़ा जिला

जयपुर पश्चिम पर प्रस्तुत रिपोर्ट तहरीरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 92/2022 चाक की जाकर अनुसंधानाधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त अभिरक्षा में है।

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर लोक अभियोजक व परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्राथी/अभियुक्त का कहना है कि प्राथी/अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्राथी/अभियुक्त का आरोपित अपराध से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी पढ़ाई करता है तथा आपसी रंजिश की वजह से फंसाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृतयुदंड से दंडनीय नहीं है। प्रार्थी दिनांक 21.03.2022 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के जयपुर के स्थायी निवासी होने बाबत् उसके कहीं भागने या गवाहों को बरगलाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी से प्रकरण में कोई अनुसंधान अथवा बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के शेष अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्को का पुरजोर खण्डन करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

7. हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं इस परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया।

8. प्रार्थी पर धारा 354 (घ) आईपीसी व 3(1)(w) 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अपराध का अभियोग है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड होना नहीं बताया गया है। प्रकरण में प्रार्थी से कोई व्यक्तिगत विशेष अनुसंधान अथवा बरामदगी शेष होना नहीं बताया गया है। दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से ही जान–पहचान होना बताया गया है। अनुसंधान पूर्ण होने व विचारण पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है।

अतः इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

10. अतः प्रार्थी/अभियुक्त अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री राजकुमार सैनी, निवासी– 5–सी हरदेव नगर 2 जयरामपुरा रोड, श्री नीदड़ गणेश धाम, नीदड, जयपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक लाख रुपये की राशि का स्वयं का निजी बंध पत्र व पचास–पचास हजार रुपये की दो सन्तोषप्रद प्रतिभू निम्न शर्तो के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे–

(1). वह अन्वीक्षा में सहयोग करता रहेगा,

(2). अभियोजन साक्षियों को बहलाये, फुसलायेगा नहीं,

(3). न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोडेगा,

तो प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस थाना हरमाड़ा जिला जयपुर पश्चिम के प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 92/2022 के मामले में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(विजय प्रकाश सोनी)
अपर सैशन न्यायाधीश,
कम02, जयपुर महानगर द्वितीय

11. आदेश आज दिनांक 22.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अपर सैशन न्यायाधीश,
कम02, जयपुर महानगर द्वितीय,